

## नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति गठन वर्ष 2024-26

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2024 विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 2566 / 68-5- 2022-29 / 2009 टी.सी., दिनांक: 15 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक : 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुर्नगठन का कार्य दिनांक: 01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक: 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :- (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वें माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियाँ सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।

ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा ।

1iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

- ❖ शैक्षिक सत्र 2024 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर 2024 को समाप्त हो रहा है ।
- ❖ नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 01 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक कराया जाना है ।
- ❖ कम्पोजिट वि विद्यालयों में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिनमें 11 अध्ययरत बच्चों के माता ,पिता /अभिभावक होंगे ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में से एक सदस्य ग्राम पंचायत /वार्ड सदस्य दूसरा सदस्य ए0एन0एम0 तीसरा सदस्य पंचायत में नियुक्त लेखपाल और चौथा सदस्य उस विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक में से चयनित किया जायेगा ।
- ❖ अभिभावक सदस्यों में से एक एक सदस्य SC,ST,OBC तथा कमजोर वर्ग के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन खुली बैठक में किया जायेगा ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जायेगा जो कि बच्चो के माता पिता /अभिभावक में से होंगे ।
- ❖ शिक्षामित्र ,रसोइया या विभाग में कार्यरत किसी को भी सदस्य नहीं बनाया जायेगा सदस्य सचिव को छोड़कर ।
- ❖ नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति 1 दिसम्बर 2024 से क्रियाशील होगी ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 24 माह के लिए होता है ।
- ❖ नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंट करा दिया जाये ।
- ❖ विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों की संख्या के कम से कम 50% माता ,पिता /अभिभावकों की उपस्थिति बैठक में अनिवार्य होगी
- ❖ नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की तिथि ब्लाक स्तर से तय की जाएगी जो विकास खण्ड के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में गठन किया जायेगा ।

❖ RAJKUMAR AURAIYA

## नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन का मुनादी एजेन्डा वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - ..... यू डायस कोड - .....

प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट, विद्यालय .....

ग्राम पंचायत - ..... न्याय पंचायत - .....

विकास खण्ड - ..... जनपद - .....

सेवा में ,

सम्मानित सभी बच्चों के माता , पिता व अभिभावकों को सादर अवगत कराना है कि  
दिनांक - ..... को पूर्वान्ह / अपरान्ह..... बजे विद्यालय के प्रांगण में

वर्ष-2024-26 हेतु शासनादेश के क्रम में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की एक खुली बैठक  
आहूत की जानी है ।

अतः आप सम्मानित सभी बच्चों के माता, पिता व अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया ससमय बैठक  
में उपस्थित होकर समिति के गठन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर -  
प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर -  
माता, पिता व अभिभावक

हस्ताक्षर -  
माता, पिता व अभिभावक

## विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही

विद्यालय का नाम - ..... यूडायस कोड .....

आज दिनांक ..... पूर्वान्ह /अपरान्ह ..... बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक  
/संविलियन विद्यालय ..... न्याय पंचायत .....

विकास खण्ड ..... जनपद - .....

श्रीमान् जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश संख्या - .....

के क्रम में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार विद्यालय के प्रांगण में सचिव /प्र0अ0 के द्वारा एक खुली बैठक सभी सम्मानित बच्चों के माता , पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में विकास खण्ड के नोडल अधिकारी के निर्देशन में आहूत की गयी ।

बैठक का कोरम पूर्ण बैठक में सचिव द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चात शासनादेश के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव अभिभावकों की आम सहमति से निम्नानुसार सदस्यों का चयन किया गया है ।

समिति के सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा के उपरांत श्री/श्रीमती - .....  
ने अध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती - ..... के नाम का समर्थन किया । बैठक में उपस्थित समस्त लोगों ने अध्यक्ष पद के लिया आम सहमति व्यक्त की । इसके उपरांत अभिभावक श्री/श्रीमती - ..... ने उपाध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती - ..... को नामित किया तथा बैठक में उपस्थित समस्त लोगों ने श्री/श्रीमती - ..... के उपाध्यक्ष पद का समर्थन किया । स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य श्री/श्रीमती - ..... का चयन किया गया ।

इसके उपरांत श्रीमान जिलाधिकारी/विभाग द्वारा नियुक्त विकास खण्ड के नोडल अधिकारी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन के उपरांत अन्य सदस्यों का भी चयन क्रमशः किया गया । जिनमे 50% महिला और 50% पुरुष सदस्यों का चयन किया गया ।

इन सभी सदस्यों के नाम में आम सहमति व्यक्त की गयी

अंत में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कार्य प्रारम्भ कराएँ तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक सम्पन्न की गयी ।

हस्ताक्षर -

अन्य सदस्य

हस्ताक्षर -

प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर -

नोडल अधिकारी

## विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के चयनोंपरान्त नाम

विद्यालय का नाम - ..... यू डायस कोड .....

आज दिनांक ..... पूर्वान्ह /अपरान्ह ..... बजे प्राथमिक/उच्च

प्राथमिक/संविलियन विद्यालय ..... न्याय पंचायत .....

विकास खण्ड - ..... जनपद - ..... के प्रांगण में पूर्व

निर्धारित एजेण्डे के अनुसार सम्मानित सभी बच्चों के माता, पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में आम सहमति के उपरान्त शासनादेश के क्रम में निम्नानुसार नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही के चयनोंपरान्त नाम इस प्रकार हैं ।

- 1- अध्यक्ष (अभिभावक) श्री/श्रीमती - .....
- 2- उपाध्यक्ष (अभिभावक) श्री/श्रीमती - .....
- 3- सदस्य-स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य श्री/श्रीमती - .....
- 4- सदस्य- (ए0एन0एम) श्रीमती - .....
- 5- सदस्य- (लेखपाल) श्री/श्रीमती - .....
- 6- सदस्य- सदस्य सचिव (प्र0अ0/ प्रभारी प्र0अ0 श्री/श्रीमती - .....

अभिभावक सदस्य —RAJKUMAR AURAIYA

7- श्री/श्रीमती .....

8 - श्री/श्रीमती .....

9 - श्री/श्रीमती .....

10 - श्री/श्रीमती .....

11- श्री/श्रीमती .....

12- श्री/ श्रीमती .....

13- श्री/श्रीमती.....

14- श्री/श्रीमती .....

15- श्री/श्रीमती .....

# विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के चयनोंपरान्त समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर की तालिका वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - ..... एन०पी०आर०सी० - ..... विकासखण्ड - .....

जनपद - ..... विद्यालय का यूडायस कोड - ..... चयन का दिनांक - .....

क्रम संख्या	सदस्य का नाम RAJKUMAR AURAIYA	पद	हस्ताक्षर	उम्र	लिंग	जाति	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नम्बर
1		अध्यक्ष(अभिभावक)						
2		उपाध्यक्ष(अभिभावक)						
3		सदस्य (ग्राम पंचायत)						
4		सदस्य (ए0एन0एम0)						
5		सदस्य (लेखपाल)						
6		सचिव /(प्रधानाध्यापक)						
7		सदस्य (अभिभावक)						
8		सदस्य (अभिभावक)						
9		सदस्य (अभिभावक)						
10		सदस्य (अभिभावक)						
11		सदस्य (अभिभावक)						
12		सदस्य (अभिभावक)						
13		सदस्य (अभिभावक)						
14		सदस्य (अभिभावक)						
15		सदस्य (अभिभावक)						

हस्ताक्षर-सचिव/प्र0अ0

हस्ताक्षर- नोडल अधिकारी

## विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन का विवरण वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - ..... एन०पी०आर०सी० - .....

विकास खण्ड - ..... जनपद - ..... विद्यालय का यूजायस कोड - .....

क्रम संख्या -	सदस्य का नाम -	पिता/पति का नाम -	पद -	उम्र	लिंग -	जाति -	शैक्षिक योग्यता -	मोबाइल नम्बर -
1			अध्यक्ष(अभिभावक)					
2			उपाध्यक्ष(अभिभावक)					
3			सदस्य (ग्राम पंचायत)					
4			सदस्य (ए0एन0एम0)					
5			सदस्य (लेखपाल)					
6			सचिव //(प्रधानाध्यापक)					
7			सदस्य (अभिभावक)					
8			सदस्य (अभिभावक)					
9			सदस्य (अभिभावक)					
10			सदस्य (अभिभावक)					
11			सदस्य (अभिभावक)					
12			सदस्य (अभिभावक)					
13			सदस्य (अभिभावक)					
14			सदस्य (अभिभावक)					
15			सदस्य (अभिभावक)					

**विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाता में नाम परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र  
सेवा**

में श्री मान शाखा प्रबन्धक महोदय \_\_\_\_\_

**विषय -**प्रा०वि०/उच्च०प्रा०वि०/संविलियन वि० \_\_\_\_\_

के संचालित विद्यालय प्रबन्ध समिति खाता में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

**महोदय !**

निवेदन के साथ आप को अवगत कराना है कि आप की बैंक में

प्रा०वि०/उच्च०प्रा०वि०/संविलियन वि० \_\_\_\_\_ का विद्यालय

प्रबन्ध समिति खाता संख्या-\_\_\_\_\_ संयुक्त रूप से प्रधानाध्यापक

श्री\_\_\_\_\_ तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति श्री-\_\_\_\_\_

के द्वारा संचालित है

अब उक्त खाते का संचालन प्रधानाध्यापक श्री-\_\_\_\_\_ तथा अध्यक्ष

विद्यालय प्रबंध श्री-\_\_\_\_\_ के द्वारा किया जाना है

अतः उक्त खाते का स्थानांतरण प्रधानाध्यापक श्री. \_\_\_\_\_ तथा अध्यक्ष

विद्यालय प्रबंध श्री \_\_\_\_\_ के नाम से संयुक्त रूप से करने की

कृपा करें ।

दिनांक \_\_\_\_\_

**हस्ताक्षर**

**प्रधानाध्यापक**

प्रधानाध्यापक का नाम \_\_\_\_\_

विकास क्षेत्र \_\_\_\_\_

जनपद - \_\_\_\_\_

**खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति**

विद्यालय का यू डायस कोड \_\_\_\_\_

मोबाइल न० \_\_\_\_\_